



**OPEN TENDER FOR
OUTSOURCING THE SERVICES OF
SAFAIWALA, MALI, ASSTT. HALWAI, COUPON CLERK, COUNTER CLERK,
CLERK & SECURITY GUARDS (CIVILIAN & WITHOUT ARMS)
SURVEY OF INDIA,
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
GOVERNMENT OF INDIA**

Tender No. 230 /Guard File Dated: 12 .01.2017

TO BE SUBMITTED BY : 03 .02.2017 (17:00 hours)

**O/o The Director,
PUNJAB, HARYANA & CHANDIGARH GEO SPATIAL DATA CENTRE,
SURVEY OF INDIA
SOI COMPLEX, DAKSHIN MARG, SECTOR-32-A
CHANDIGARH-160030**

SURVEY OF INDIA
(MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)
OFFICE OF THE DIRECTOR,
PUNJAB, HARYANA & CHANDIGARH GEO SPATIAL DATA CENTRE,
SURVEY OF INDIA
SOI COMPLEX, DAKSHIN MARG, SECTOR-32-A
CHANDIGARH-160030

“NOTICE INVITING TENDER”

For and on behalf of President of India, the Director, Survey of India, Punjab, Haryana & Chandigarh GDC, Chandigarh, Telephone No. 0172-2602607, E-Mail: phc.gdc soi@gov.in invites sealed tenders for outsourcing the services of **Safaiwala, Mali, Asstt. Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk and Security Guards (Civilian & Without Arms)** from the service provider agencies/firms in Survey of India, SOI Office Complex, Sector-32-A, Chandigarh as per the details below:-

1. Particulars of Tender:

- a. Designation of the Authority Inviting Tender : Director, Punjab, Haryana & Chandigarh GDC, Survey of India, Chandigarh
- b. Tender No. : /Guard File Dated: .01.2017
- c. Last date and time of receipt of sealed Tender : 03 .02.2017(17:00 hours)
- d. Date & time of opening Tender : 06 .02.2017 (11:30 hours)
- e. Tender document are also available on Survey of India Web Site www.surveyofindia.gov.in.

2. Scope of Work: These services are to be provided in the Survey of India, SOI Office Complex Sector-32-A, Chandigarh during the period of contract. Details of the job work are as under:

- i) The Safaiwala shall be employed for cleaning of rooms, corridors, toilets, clearing small and big dustbins etc. in the office buildings and outer areas of the office premises under the Punjab, Haryana & Chandigarh GDC/Himachal Pradesh Geo-Spatial Data Centre. Working hours will be from 09:00 hrs to 17:30 hrs on all working days except weekly off. The Director, Punjab, Haryana & Chandigarh GDC/ Himachal Pradesh GDC reserve the right to change the timings and assign other cleaning duties, if required.
- ii) The Mali shall be employed for cleaning of garden, grow the plants, flowers, grass, trimming the plants ,vegetation, spray the pesticides time to time and watering the plants etc. in the office complex and outer areas of the office premises. Working hours will be from 09:00 hrs to 17:30 hrs on all working days except weekly off. The Director, Punjab, Haryana & Chandigarh GDC reserve the right to change the timings and assign other cleaning duties, if required.
- iii) The Asstt.Halwai shall be employed in the office Canteen for cooking of Meals, Snacks, tea, coffee etc. under Punjab, Haryana & Chandigarh geo-spatial data centre. Working hours will be from 09:00 hrs to 17:30 hrs on all working days except weekly off. The Director, Punjab, Haryana & Chandigarh GDC reserve the right to change the timings and assign other cooking duties, if required.
- iv) The Coupon Clerk shall be responsible for accounting and distributing the coupons as per the rates fixed by the canteen committee for the items to be sold in the canteen under Punjab, Haryana & Chandigarh Geo-Spatial Data Centre. Working hours will be from 09:00 hrs to 17:30 hrs on all working days except weekly off. The Director, Punjab, Haryana & Chandigarh GDC reserve the right to change the timings and assign other related duties, if required.
- v) The Counter Clerk shall be responsible for all counter duties i.e. receiving the coupons and distributing the food, tea, snacks etc. in the canteen under Punjab, Haryana & Chandigarh Geo-Spatial Data Centre. Working hours will be from 09:00 hrs to 17:30 hrs on all working days except weekly off. The Director, Punjab, Haryana & Chandigarh GDC reserve the right to change the timings and assign other related duties, if required.

vi) The clerk shall be responsible for Typing in Hindi, English and must have knowledge of correspondence, Accounts. Working hours will be from 09:00 hrs to 17:30 hrs on all working days except weekly off. The Director, Punjab, Haryana & Chandigarh GDC reserve the right to change the timings and assign other related duties, if required.

vii) The Security Guards (Civilian & Without Arms) shall be employed on providing security cover to the Survey complex Dakshin Marg, Sector-32-A, Chandigarh. The Security Guards shall have to work in Day and Night shifts timings of which shall be decided by the Survey Administration. The Security Guards shall also assist in fire fighting operations.

3. Period of Contract and Number of Personnel:

- i) No. of Safaiwala required – **02 (Two)**, Period of Contract – **12 (Twelve) months.**
- ii) No. of Mali required – **02 (Two)**, Period of Contract – **12 (Twelve) months.**
- iii) No. of Asstt. Halwai required – **01 (One)**, Period of Contract – **12 (Twelve) months.**
- iv) No. of Coupon clerk required – **01 (One)**, Period of Contract – **12 (Twelve) months.**
- v) No. of Counter clerk required – **01 (One)**, Period of Contract – **12 (Twelve) months.**
- vi) No. of Clerk required – **02 (Two)**, Period of Contract – **12 (Twelve) months.**
- vii) No. of Security Guards required – **10 (Ten)**, Period of Contract – **12 (Twelve) months**
(Civilian & Without Arms)

NB: The above noted number of Safaiwala, Mali, Asstt. Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk and Security Guards (Civilian & Without Arms) and the period of hire may vary.

4. Eligibility Criteria for the Bidder:

- i) The service providers should have local offices at Chandigarh to ensure satisfactory fulfillment of contractual obligations.
- ii) The bidder must have valid EPF registration, ESI registration, Service Tax registration, PAN/TAN number, VAT clearance certificate, Registration Certificate, Registration with Labour Commissioner in providing such services in offices at Chandigarh along with valid License to engage private security issued by DC(Labour Commissioner) Chandigarh.
- iii) The service provider agencies/firms having good track record, manpower capacity and relevant experience are only eligible to apply.
- iv) Only one tender paper is allowed to be submitted by a bidder.

5. Tendering Process: The tenders should be submitted as per two bid system in two sealed covers.

(A) The first sealed cover should be superscribed “ **Technical Bid**” and should contain:

- i. Checklist of documents submitted (Annexure-A)
- ii. The Proforma at Annexure-B duly filled in.
- iii. Agency profile including previous experience of manpower supply to Government/Semi Government/ Autonomous agencies.
- iv. Acceptance of Tender offer at Annexure-C.
- v. Demand Draft for Earnest Money Deposit.
- vi. All other required documents.

(B) The second sealed envelope superscribed ‘**Financial Bid**’ should contain only rates which are to be quoted on monthly basis in the proforma given in Annexure-D.

(C) Both the sealed covers should be placed in the main sealed envelope superscribed ‘**Tender for Outsourcing the services of Safaiwala, Mali, Asstt. Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk. Clerk and Security Guards (Civilian & Without Arms)**’. This should be addressed to CHAIRMAN, COMBINED PROCUREMENT BOARD (CPB), PUNJAB, HARYANA & CHANDIGARH GDC, SECTOR-32A, CHANDIGARH-160030 and sent by post or hand delivered in the Tender box latest by 5.00 P.M of **03-02-2017** and shall be opened on the **06-02-2017** at

11.30 AM in presence of the tenderers or their authorized representatives. In the event of office, being closed on the last date of receipt or opening of bid as specified, the bid will be received/ opened on the next working day at the same time and venue.

6. Evaluation of Bids:

- a) First the check list as given in Annexure A will be checked for the completion, failing which the tender will be declared as non-responsive and thus liable for rejection.
- b) The technical evaluation will be done to assess the ability of the agencies to render the requisite services subject to qualifying the eligibility criteria given in Para (4).
- c) Technical bid (Annexure B) will be opened after checking the checklist (Annexure A) and the same will be checked for the completion, if all requisite documents sought in the technical bid are not found with the bid documents the tender will be declared as non-responsive and thus liable for rejection. Financial bid should be strictly in compliance to the provisions and instructions given in the tender. In case of any violation/deviation, such bid should be considered as non-responsive and thus liable for rejection.
- d) Bids will be examined to determine the correctness of the information furnished by the bidder in its bid. In case any information is found to be incorrect/false, the bid shall be considered as non-responsive.
- e) CPB may contact and verify bidder's information, references and data submitted in the bid without further reference to bidders.
- f) CPB reserves the right to use and interpret the bids as it may, in its discretion, consider appropriate, when selecting bidders for granting of the Letter of Intent/ Notification of Award of Contract.
- g) CPB may seek clarification in writing from bidder by fax. Bidder shall promptly reply by fax within the given time limit.
- h) The comparison shall be of total price offered inclusive of all taxes.

7. Earnest Money Deposit (EMD)

Bidders are required to furnish Bid Security (EMD) along with the Tender offer. The EMD should be in the form of a Bank Draft /Bank Guarantee from any Nationalized Bank for ` **2,40,000 (Rupees Two Lac Forty Thousand Only)** valid for 60 days from the date of opening of the tenders. The EMD should be furnished in favour of “**Establishment and Account officer, Punjab, Haryana & Chandigarh GDC, Survey of India**” payable at Chandigarh. Tenders received without the Earnest Money Deposit will be summarily rejected. Unsuccessful Bidder's money shall be refunded within 30 days after the expiry of the period of the tender offer validity prescribed by the Survey of India. EMD will be refunded to the successful bidder after signing of the Contract Agreement on the terms and conditions as stipulated in this Tender Document and after obtaining Performance Security from him. No interest is payable on the **BID SECURITY AMOUNT**.

If the successful tenderer fails to furnish the Performance Security, the whole earnest Money Deposit shall be forfeited without any reference to successful tenderer.

8. Instructions To Bidders;

- i) Each page of the tender must be signed by the tenderer. The sealed cover containing Tender should be superscripted “**Tender for Outsourcing the services of Safaiwala, Mali, Asstt. Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk and Security Guards (Civilian & Without Arms)**”. Covers not so superscripted are liable to be ignored.

- ii) It is the responsibility of the bidders to see that their tenders reach the Chairman, Combined Procurement Board at the above address by due date and time. The fact of having posted an offer in time will not bind the Chairman for considering the tender, in case such an offer is delayed in post or misdirected due to incomplete or incorrect superscription or address or any other reason.
- iii) All services shall be performed by the persons qualified and skilled in performing such services. The persons engaged shall not be below the age of 18 years and they shall not interfere with the duties of the employees of this office. If this office finds any person(s) employed by the service provider incompetent, the service provider will be bound to replace the same with a competent person(s) to the satisfaction of this office.
- iv) The Chairman, Combined Procurement Board, Punjab, Haryana & Chandigarh GDC, Survey of India, shall not be responsible for any postal delay or non-receipt of tender by due date and time due to any reason whatsoever may be.
- v) The rates quoted should be on per man-month basis. The rates offered should be valid for acceptance up to 120 days from the date of opening of the tender. Any offer falling short of the validity period is liable for rejection. The rates offered should be firm & final for **12 months** and shall remain in force until **3 months** after the expiry of the contract period. Any statutory change in the rates is to be absorbed by the agency however any changes in Minimum Wages will be paid by Survey of India during the contract period. The bidders are requested to quote the rates accordingly.
- vi) The statutory charges like Employer's share towards EPF & ESI and Service Tax, etc. which shall be payable by Survey of India over & above the Minimum wages or basic wages may be indicated while submitting the Financial bid. However, bidder's service/ handling charges (inclusive off overheads, supervision charges, bonus, uniforms, Training fees gratuity etc.) may be quoted in clear terms in the Annexure 'C'. Service charges quoted as unreasonably low will not be entertained & bid will be rejected.
- vii) The Agency so engaged will entirely be responsible to deposit EPF & ESI (both employer & employee share), Service Tax etc. with the respective departments in respect of the outsourced services of **Safaiwala, Mali, Asstt. Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk and Security Guards (Civilian & Without Arms)** employed by them for every month. A copy of the receipt bearing individual employee enrolment No. and name for above deduction on this account shall be submitted to this office's accounts branch with the bill of succeeding month. The Survey of India will not be responsible for any liability on this account whatsoever.
- viii) The rates offered should be firm and final and should be inclusive of all taxes as applicable viz. Service Tax, EPF, Employers Contribution Fund, Employers Contribution on ESIC etc. Rates for all the categories of manpower/services should be unit consolidated rate on per man month basis i.e. including all weekly offs for the month. Board shall consider only the total amount i.e Grand Total of unit Consolidated Rate (per man month) in Rs. for the purpose of acceptance of tender.
- ix) **Completeness of Tender offer:** The bidder is expected to examine all instructions, forms, terms and conditions in the Tender Documents. Failure to furnish all information required by the tender documents may result in rejection of tender offer. Tender should be neatly filled in and the person signing the tender should, duly authenticate any errors or corrections in the tender.No white fluid/Eras-ex are allowed on financial bid.
- x) The family members or close relatives of serving Survey of India employee shall not be offered as the service.
- xi) These persons shall have to undergo police verification and the verification report to this effect shall be submitted by the tenderer to Survey of India for information/ record.
- xii) The Contractor shall ensure regular health checkup of his contract **Safaiwala, Mali, Asstt. Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk and Security Guards (Civilian & Without Arms)** and compliance of provisions of labour Act or any other law as applicable here.

xiii) The Contractor shall ensure that the contract **Safaiwala, Mali, Asstt.Halwai, Coupon Clerk , Counter Clerk, Clerk and Security Guards (Civilian &Without Arms)** so deployed should be smartly dressed in the prescribed uniform for which no extra payment whatsoever shall be made by Survey of India. Hence if any charges are to be deducted from the deployed personnel for uniform, may be covered under service charges.

xiv) The Successful bidder shall give following undertaking in the form of an affidavit on non-judicial stamp paper of Rs. 5/- duly attested by the notary public/ 1st class Magistrate and the same shall be part of the agreement :-

"That we M/s.....with our registered office at shall deposit all the contributions like EPF,ESI, EDLI and service tax etc. with the appropriate regularly and that we, M/swith our registered office atshall be responsible for implementation of provisions of labour law and rules as made applicable by the appropriate Govt. in respect of contract Safaiwala, Mali, Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk and Security Guards for which the contract has been awarded".

" Further, we M/s shall deposit employers and employees (Safaiwala, Mali, Asstt. Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk and Security Guards (Civilian &Without Arms) contributions towards EPF, ESI, EDLI and service tax by the due dates and supply attested copies of the challans (clearly showing relevant entries against the individual names deployed on duty)of the previous months. The monthly wages bill including all the statutory liabilities will, however, be released only after ensuring that all the statutory liabilities of the previous month have been deposited with appropriate authorities through relevant challans".

In case the contractor fails to produce copies of the relevant challans, Survey of India will be at liberty to deduct such amounts from the bills and deposit the same with the concerned authorities. In the event of any penalty imposed by the concerned Department due to delayed deposit, the same shall be paid by the contractor. Evidence of such deposits will then be supplied to the contractor. Further, copies of ESI Card (with ESI Code) in respect of each such contract Safaiwala, Mali, Assistant Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk and Security Guards (Civilian &Without Arms) and will be required to be submitted to Survey of India for onward transmission to the ESI Corporation as per standing requirement. Similarly EPF Code in respect of each such Safaiwala, Mali, Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk & Security Guards (Civilian &Without Arms) Survey of India.

xv) The contractor shall not sublet, transfer or assign the contract or any part thereof to any other party.

xvi) If the services provided by the contractor are not found as per the prescribed standards wholly or partly and in case of breach of any contractual obligations, Chairman CPB reserves the right to get the services from other sources at the risk and cost of the contractor.

xvii) The SOI shall not be in any manner concerned with the internal affairs of the contractor i.e. dispute and dissolution etc. or affairs concerning any other (third) party that the contractor may be having.

(a) In case of non providing /providing of less number of persons, SOI reserves the right to levy penalty as may be decided by CPB. Further, for providing of inferior quality of services continuously, SOI reserves the right to cancel the contract.

(b) In case penalty is imposed for more than 5 times on the contractor on account of non providing/providing of less number of persons to SOI the contractual agency is liable to be considered for cancellation of contract, forfeiture of security and blacklisting of the firm upto the period of 3 years, for further tendering.

xviii) The contractor shall submit the consolidated wage bill consisting of basic wages, statutory liabilities and tenderers service charges for the categories of outsourcing services deployed for duty in SOI premises duly supported with the following documents:

- a) Attendance report duly signed by any authorized officer of the SOI.
- b) Documents in support of deposit of EPF/ESI/EDLI/Service tax of the previous month by 3rd day of the following month, clearly specifying the relevant entries against the names of contract labour in respect of whom statutory liabilities have been deposited must be submitted to the Director, Punjab, Haryana & Chandigarh GDC and/or Himachal Pradesh GDC.

xix) The contractor shall further prepare the required accounts in consultation with the concerned accounts branch for the issue of annual statements of EPF etc. to the contract staff in time. The tenderer shall also be solely responsible for any lapse or delay for the submission of any return to the concerned authority of the labour Department /EPF/ESI organizations about the staff engaged on contract basis through them as per rules.

xx) The contractor shall himself be solely responsible for the timely submission of bills and timely payment of wages to the Contractual staff.

xxi) On the expiry of the contract, the personnel deployed by the contractual agency shall be relieved automatically. However, the contractual agency will clear their accounts by paying them all their legal dues as required under the law in force. In case of any dispute on account of the termination of employment or non-payment of dues of the personnel by the tenderer, it shall be the entire responsibility of the tenderer to pay and settle the same. The tenderer shall comply with all the orders/awards passed by the competent authority /court in respect of the personnel engaged by it.

xxii) Any notice required or permitted to be given pursuant to this agreement shall be duly given or sent through Speed Post and addressed to the tenderer through their proprietor or partner and in case of the SOI to CPB.

xxiii) That if any amount is found payable by the bidders towards, wages, allowances and statutory dues in respect of personnel or any loss to this office property, the same shall be adjusted from the security deposit of the extent of the amount so determined reserving right to recover the deficit amount through other modes of recovery including the right to terminate the agreement without notice.

xxiv) The service provider will provide the required personnel for a shorter period also, in case of any exigencies as per the requirement of this office.

xxv) The service provider shall provide a substitute well in advance if there is any probability of the person leaving the job due to his/her own personal reasons. The payment in respect of the overlapping period of the substitute shall be the responsibility of the service provider.

xxvi) The service provider shall be contactable at all times and messages sent by phone/e-mail/fax/special messenger from this office shall be acknowledged immediately on receipt on the same day. The service provider shall strictly observe the instructions issued by the Department in fulfillment of the contract from time to time.

xxvii) That the Service provider on its part and through its own resources shall ensure that the goods, materials and equipments etc. are not damaged in the process of carrying out the services undertaken by it and shall be responsible for acts of commission and omission on the part of its staff and its employees etc. If this office suffers any loss or damage on account of negligence, default or theft on the part of the employees/agents of the agency, then the agency shall be liable to reimburse to this office for the same. The agency shall keep this office fully indemnified against any such loss or damage. Any accident/casualty occurred during the course of working to any staff engaged by the Agency, the responsibility will remain with the agency. For any accident or casualty occurred during the course of working to any staff deployed by the agency, the liability that will arise out of the accident will be borne by the agency. The responsibility will remain with agency and this office will no way be responsible for it or any other clause mentioned above.

xxviii) The service provider has to provide Photo Identity Cards to the persons employed by him/her for carrying out the work. These cards are to be constantly displayed & their loss reported immediately.

xxix) The service provider shall ensure proper conduct of his person in office premises, and enforce prohibition of consumption of alcoholic drinks, paan, smoking and loitering without work.

9. Other Terms and Conditions of the Contract:

a) Performance Security

The Performance Security should be furnished for an amount of 10% of the Contract Value valid for a period of 60 days beyond the date of completion of all contractual obligations. The successful contractor shall furnish the performance security in the form of either an Account Payee Demand Draft in favour of “**Establishment and Account officer, Punjab, Haryana & Chandigarh GDC, Survey of India**” payable at Chandigarh or a Bank Guarantee, protecting the interests of the Government in all respects, The proceeds of the Performance Security shall be payable to the Survey of India as compensation for any loss/penalties/liquidated damages resulting from the service provider’s failure to honour its obligations under the contract.

The performance security shall be returned to the Contractor on successful completion of the services for which the Safaiwala, Mali, Assistant Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk and Security Guards (Civilian & Without Arms) were hired.

In case contract is awarded to a firm/agency and such firm/agency fails to provide the services of Safaiwala, Mali, Assistant Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk and Security Guards (Civilian & Without Arms) at the accepted rates on the scheduled date & time, the contract awarded shall be cancelled & Performance security shall be forfeited.

b) Good Conduct of the Personnel

i) The agency should provide the service of trained Safaiwala, Mali, Assistant Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk and Security Guards (Civilian & Without Arms) and will furnish a Certificate that the Safaiwala, Mali, Assistant Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk and Security Guards (Civilian & Without Arms) are trained and none of the Safaiwala, Mali, Assistant Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk and Security Guards (Civilian & Without Arms) were discharged from the service on ground of criminal charges, theft and unreliability.

ii) The service provider shall ensure that the behavior of the Safaiwala, Mali, Assistant Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk and Security Guards (Civilian & Without Arms) deployed by them is decent. The service provider shall be fully responsible for misconduct and indecent behavior by the Safaiwala, Mali, Assistant Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk and Security Guards (Civilian & Without Arms) so deployed. Such personnel, whose conduct is reported against, shall have to be immediately replaced.

iii) The service provider shall furnish an affidavit that none of their Safaiwala, Mali, Assistant Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk and Security Guards (Civilian & Without Arms) deputed to work under this contract will later ask for employment under the Government. If the services provided by the contractor are not found satisfactory, the contract can be terminated by Survey of India after giving a month’s notice to the contract.

c) Leave to the Contractual Staff.

The agency shall deploy the full strength of personnel all the time and shall maintain a list of the reserve to provide the replacement.

d) Payment Terms

i) Payment to the Service provider for the manpower deployed will be made on monthly basis by the office after deduction of Income tax and other applicable taxes at the rates in force as per applicable laws/Acts.

ii) Payment to the Safaiwala, Mali, Assistant Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk and Security Guards (Civilian & Without Arms) should be made only by RTGS in the bank account of the individual before 7th day of each month and payment details will be submitted to this office.

iii) In no case any payment shall be made by our office directly to the Safaiwala, Mali, Assistant Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk and Security Guards (Civilian & Without Arms) so hired, for broken periods of employment, the payment will be made on prorated basis. The Contractor shall not press a claim for any pecuniary compensation in case the payment for any particular month is delayed as a result of Administrative & Financial reasons.

e) Compensation to the deployed staff.

It is clearly understood that the Contract Safaiwala, Mali, Assistant Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk and Security Guards (Civilian & Without Arms) deployed by the contractor shall be the employees of the agency for all intents and purpose. Survey of India shall have no relationship of employer and employee or master and servant with the contract staff so deployed by the agency except that they have to carry out the orders of the authorized/controlling officers of Survey of India.

Survey of India shall not be liable for any action, direct or indirect or to any claim, damages, compensation that might become payable to the employees of the contractor under the orders of any lawful authority in the event of an accident resulting in the possible injury or death of any employee of the contractor while performing their duties within/outside the premises or damage of any other kind. The contractor shall always keep Survey of India fully indemnified against any such claim or damages.

f) Contractor shall not be allowed to be represented by a lawyer.

g) Compliance of statutory provisions of law

i) The contractor shall observe all laws, regulations, orders and directions issued by the Central Govt. or State Govt. or UT Administration or local authorities concerning the discharge of duties in execution of the contract. Any contravention of such laws, rules, regulations, orders and directions will be deemed to be a breach of the contract and the contractor shall be liable to all the consequences and in case of any such breaches, if Survey of India incurs any obligations then the contractor shall be responsible to reimburse to Survey of India any loss, monetary or otherwise, occasioned on account of any such breach or contravention.

ii) In case any person deployed by the contractor enters into dispute of any nature whatsoever, it will be the sole responsibility of the tenderer to contest the same. In case, Survey of India is also made a party and is supposed to contest the case, the cost, if any, of the actual expenses incurred towards counsel fee and other expenses shall be paid to the Survey of India by the contractor in advance on demand. Further, the contractor shall ensure that no financial or any other legal liability comes on the Survey of India in this respect of any nature whatsoever for the act done by the person of the contractor and shall keep the Survey of India indemnified in this respect.

h) Compliance with Labour Regulations

During continuance of the contract, the Contractor shall abide at all times by all existing labour enactments and rules made there under, regulations, notifications and bye laws of the State or Central Government or local authority and any other labour law (including rules), regulations, bye laws that may be passed or notification that may be issued under any labour law in future either by the State or the Central Government or the local authority. The Contractor shall keep the Employer indemnified in case any action is taken against the Employer by the competent authority on account of contravention of any of provisions of any Act of rules made there under, regulations or notifications including amendments. If the Employer is caused to pay or reimburse, such amounts as may be necessary to cause or observe, or for non observance of the provisions stipulated in the notification/bye laws/Acts /Rules/Regulations including amendments, if any, on the part of the Contractor.

i) The successful bidder will enter into an agreement with this office for supply of suitable and qualified manpower as per requirement of this office on these terms and conditions on Rs. 100/- non judicial stamp paper. The above stamp paper will be arranged by the bidder for execution of agreement. The agreement will be valid for a period of Twelve month commencing from the deployment of personnel to this Commission and shall continue to be in force for three month in the same manner, unless terminated in writing. The service charges/rates quoted by the agency shall be fixed for a period of **Twelve months** and no request for any change/modification shall be

entertained before expiry of the contract period. Any statutory increase in wages/DA etc. is to be absorbed by the Survey of India.

j) The successful bidder will have to enter into further Agreement with the Director Punjab, Haryana & Chandigarh GDC & Director, Himachal Pradesh GDC on the Terms & Conditions listed in this Tender Document for the services of safaiwala.

k) The successful bidder will have to enter into further Agreement with the Director, Punjab, Haryana & Chandigarh GDC on the Terms & Conditions listed in this Tender Document for the services of Mali, Assistant Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk & Security Guards (Civilian & Without Arms)

10. The contract may be terminated on any of the following contingencies:-

a) On the expiry of the contract period ;

OR

b) A notice at any time during the currency of services in case the services rendered by the tenderer are not found satisfactory;

OR

c) For committing breach of any of the instructions/terms & conditions of the tender /contract by the tenderer;

OR

d) On assigning the contract or any part thereof or any benefit or interest therein or there-under by the tenderer to any third person or subletting the whole or a part of the contract to any third person ;

OR

e) On contractor being declared insolvent by the competent court of Law.

OR

f) During the notice period for termination of contract, in the situations contemplated above, the contractor shall keep on discharging his duties as before till the expiry of the notice period. It shall be the duty of the contractor to remove all the persons deployed by him on termination of the contract (on any ground whatsoever) and to ensure that no person creates any disruption/ hindrance/problem of any nature to the SOI.

11. The undersigned reserves the right to accept or reject any or all the tenders without assigning any reason whatsoever.

12. In the event of any dispute or difference arising out of or in any way touching or concerning this tender whatsoever (except as to matters the decision of which is specifically provided under this contract), the same shall be first sorted out by the Director, Punjab, Haryana & Chandigarh GDC. If the dispute persists and remains unresolved, it will referred to the sole arbitration **Surveyor General of India, Dehradun**, or any person appointed by him. The award of such arbitrator shall be final and binding on both the parties hereto.



(CHANDRA PAL)

DIRECTOR,

CHAIRMAN

COMBINED PROCUREMENT BOARD

PUNJAB, HARYANA & CHANDIGARH GDC

SURVEY OF INDIA

Annexure-A

CHECKLIST OF DOCUMENTS SUBMITTED

Sl.No.	Documents to be submitted	Submitted	Not Submitted	Remarks
1	Copy of Registration of firms			
2	Copy of Registration Certificate of EPF			
3	Copy of Registration Certificate of ESI			
4	Copy of License to provide manpower (including security) services.			
5	Copy of Income Tax Return for last 2 years			
6	Copy of Service Tax Registration			
7	Copy of PAN/TAN Card			
8	List of clients with duration and quantum of work executed for them			
9	Proof of experience			
10	Last 2 years audited statement from Chartered Accountant			
11	Earnest Money Deposit (Bank Draft) of Rs. 2,40,000/-			

Signature of Bidder Seal of Establishment

Full Name of Bidder with address and date

PROFORMA FOR TECHNICAL BID

Sl.No.	Particulars	To be filled by the tenderer
1	Name of the Agency	
2	Date of establishment of the agency	
3	Detailed office address of the Agency with office Telephone Number, Fax Number and Mobile Number and name of the contract person	
4	Whether registered with and holding license from all concerned Government Authorities including registration under Contract Labour (Regulation & Abolition) act, 1970.(Copies of all certificates of registration to be enclosed)	
5	PAN/ TAN Number (Copy to be enclosed)	
6	Labour License Number (Copy to be enclosed)	
7	Service Tax Registration Number (Copy to be enclosed)	
8	EPF Registration Number (Copy to be enclosed)	
9	ESI Registration Number (Copy to be enclosed)	
10	Whether the firm is blacklisted by any Government Department or any criminal case is registered against the firm or its owner/partners anywhere in India. (If no, a certificate is to be attached in this regard)	
11	Length of experience in the field	
12	Experience in dealing with Govt. Departments (indicate the names of the Department and years of dealing with those Departments and attach copies of contract orders placed on the agency.	
13	Whether the undertaking regarding acceptance of the terms and conditions have been duly signed, in token of acceptance of the same, is attached.	
14	Whether agency profile is attached?	
15	List of other clients	
16	Financial turnover of the tendering company/firm/agency for the last 2 financial year with supported documents (copy of balance sheet, duly certified by Auditors/ CAs to be attached)	
17	Whether any show cause notice was ever issued by the Office of the Labour Commissioner or any Government Agency? If so, details thereof (Please attached the copies of communications, if any).	

TENDER OFFER/QUOTATION

To,

The Chairman, Combined Procurement Board,
Punjab, Haryana & Chandigarh GDC,
Survey of India, SOI Complex,
Dakshin Marg, Sector-32-A
Chandigarh

After having examined the tender documents including all Annexures, we offer to supply the services of **Safaiwala, Mali, Assistant. Halwai, Coupon Clerk ,Counter Clerk, Clerk & Security Guards** (Civilian & Without Arms) in accordance with the said tender document.

We undertake, if our tender offer is accepted, to enter into the contract and commence the services within 07 days calculated from the date of signing of the Contract Agreement.

If our tender offer is accepted we will submit a bank guarantee for a sum of 10% of the Contract Value for the due performance of the Contract.

We hereby agree to abide by this Tender offer for 120 days and the same shall remain binding upon us and may be accepted at any time before the expiry of that period.

We are aware that you are not bound to accept the lowest or any offer you may receive.

Dated this _____ day of _____ 2017 .

Signature: _____

(_____)

Duly authorized to sign the tender offer for and on behalf of

PERFORMA FOR FINANCIAL BID

Description of Manpower/ services	Minimum Wage	Break details of the Rate (Minimum Wages, EPF, ESIC, Service Tax, Adm/Service Charges etc)					Unit Consolidated Rate (per man month) (in Rs.)
		EPF. Charges EDLI. Charges @ 13.36%	ESIC Charges @ 4.75%	Service Charges*	Total (1 to 4)	Service Tax @ 15 %	
(on Contract basis)	(1)	(2)	(3)	(4)			
Safaiwala Chief Labour commissioner rate (Central)	9,360.00						
Coupon Clerk (Labour commissioner) DC rate	17,199.00						
Counter Clerk (Labour commissioner) DC rate	17,199.00						
Clerk (Labour commissioner) DC rate	17,199.00						
Asstt.Halwai (Labour commissioner) DC rate	11,803.00						
Mali (Labour commissioner) DC rate	11803.00						
Security Guards Chief Labour commissioner rate (Central)	10,590.00						
Grand Total	95,153.00						

Note: * Service charges only to be quoted on minimum wages only, in percentage upto two decimals considering the terms and conditions given in Para 8 (v) (vi) and (viii) of the tender.

Rate for

Rate (in figures) Rs. _____

Rate (in words) Rupees _____

Signature of Contractor _____

Postal Address: _____

Place:

Date:

CONTRACT AGREEMENT

(Agreement to be executed on a Non-judicial Court Stamp of Rs. 100/- value)

AGGREMENT MADE on this _____ day of _____ Two thousand Fifteen between _____ (hereinafter called “the Service Provider or Contractor”) on one part and the Director, Punjab, Haryana & Chandigarh Geo Spatial Data Centre (hereinafter referred to as the “Government”) on the other part.

WHEREAS the Service Provider has tendered to the Chairman, Combined Procurement Board for providing the servicing of **Safaiwala, Mali, Asstt. Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk , Clerk and Security Guards (Civilian & Without Arms)** as per the instructions given at the prices or rates mentioned in the Bid Form and whereas such tender has been accepted and the contractor has deposited with the Government the sum of Rs. _____ (Rupees _____ only) as performance Security for the fulfillment of this Agreement.

Now it is hereby agreed between the two parties as follows:

1. The contractor has accepted the contract on the terms and conditions listed in the Tender Document of the Tender Notice No. _____ which will hold good during the period of this agreement.
2. Upon breach by the contractor of any of the conditions mentioned anywhere in the Tender Document, the Government may issue a notice in writing, and put an end to this agreement without prejudice to the right of the Government to claim damages for antecedent breaches thereof on the part of the Service Provider and also to reasonable compensation for the loss caused by the failure of the contractor to fulfill the agreement as certified in writing by the Government whose certificate shall be the conclusive evidence of the amount of such compensation payable by the contractor to the Government.
3. The Service Provider has deposited with the Government a performance Security Deposit of Rs _____ as security for compliance and performance in accordance with the Contract. Upon the completion of the contract, the Performance Security Deposit shall after the expiry of **15 months** from the date of signing this agreement will be returned to the Service Provider, without interest, and after deducting any sum due by the Service Provider to the Government under the terms and conditions of this agreement.
4. This agreement shall be valid for **12 months** only and shall remain in force until **3 months** after the expiry of the contract period.
5. Not with standing anything contained herein the tender and acceptance forms contained, the Government shall not be bound to take the whole or any part of the estimated manpower mentioned herein and may cancel the contract at any time upon giving one month’s notice in writing without compensating the Service Provider in anyway whatsoever.
6. In consideration of the payments to be made by the Government to the Service Provider as mentioned in the Tender Document, the Service Provider hereby agree to provide to the Government the **Safaiwala, Mali, Assistant Halwai, Coupon Clerk, Counter Clerk, Clerk & Security Guards (Civilian & Without Arms)** and to remedy shortcomings/deficiencies therein, if any, in conformity with the terms and Conditions of the Contract.
7. In witness thereof the service provider _____ has set his hereto and Director, Punjab, Haryana & Chandigarh GDC/ Himachal Pradesh GDC or his authorized representative has on behalf of the Government of India affixed his signature and sea thereto on the day and the year noted above.

Contractor:

Survey of India:

Witness: _____

Witness _____

Place : Chandigarh

PERFORMANCE SECURITY FORM

To

The E & A.O,
Punjab, Haryana & Chandigarh GDC
Survey of India, SOI Complex,
Dakshin Marg, Sector-32-A
Chandigarh

WHEREAS _____(Name of Service Provider hereinafter called “the Service Provider” has undertaken Contract No. _____ _ dated__.. 2018 to supply _____Description of Services) hereinafter called the Contract. AND WHEREAS it has been stipulated by the Government in the said Contract that the Service Provider shall furnish to you a bank Guarantee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with the Service Provider’s performance obligations in accordance with the Contract.

AND WHEREAS we have agreed to give the Service Provider a guarantee:

THEREFORE WE hereby affirm that we are Guarantors and responsible to you, on behalf of the Service Provider, up to a total of _____(Amount of the Guarantee in Words and Figures) and we undertake to pay you, upon the Government’s written demand declaring the Service Provider to be in default under the contract and without cavil or argument, any sum or sums within the limit of _____ as aforesaid, without your requiring to prove or to show reasons for your demand or the sum specified therein.

This guarantee is valid until the _____ day of _____2018

Signature and Seal of Guarantors

Date:_____

Address:_____



सफाईवाला, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड (बिना हथियार) की बाहरी स्त्रोतों से सेवाएं लेने हेतु खुली संविदा
भारतीय सर्वेक्षण विभाग
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय)
भारत सरकार

टेन्डर सं0 230 / गार्ड फाईल दिनांक 12-01-2017

दिनांक 03-02-2017 (17:00 बजे) तक प्रस्तुत किया जाए

निदेशक,
पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र ,
भारतीय सर्वेक्षण विभाग,
सर्वे कॉम्प्लैक्स, दक्षिण मार्ग, सेक्टर-32 ए,
चण्डीगढ़- 160030.

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय)
निदेशक का कार्यालय,
पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र ,
भारतीय सर्वेक्षण विभाग,

सर्वे कॉम्पलैक्स, दक्षिण मार्ग, सेक्टर-32 ए,
चण्डीगढ़- 160030.

निविदा/टेंडर आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी., चण्डीगढ़ दूरभाष संख्या 0172-2602607, ई-मेल : phc.gdc.soi@gov.in सफाईवाला, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड (बिना हथियार) की बाहरी स्रोतों (Out Sourcing) द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे कॉम्पलैक्स कार्यालय, सेक्टर- 32ए में सेवाएँ प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदाता एजेंसियों/ फर्मोंसे सीलबन्द निविदाएँ निम्नानुसार आमंत्रित की जाती हैं -

1. टेंडर विवरण

- (क) टेंडर आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी का पद : निदेशक, पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, चण्डीगढ़
- (ख) टेंडर संख्या : /गार्ड फाईल दिनांक /01/2017
- (ग) मुहरबंद/सीलबन्द टेंडर प्राप्त होने की तिथि एवं समय : 03/02/2017 (17:00 बजे)
- (घ) टेंडर खुलने की तिथि एवं समय : 06/02/2017 (11:30 बजे)
- (ङ) टेंडर कागजात भारतीय सर्वेक्षण विभाग वेब साईट www.surveyofindia.gov.in पर उपलब्ध है।

2. कार्यक्षेत्र:

संविदा/टेंके की अवधि के दौरान उक्त सेवाएँ भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे कॉम्पलैक्स, सेक्टर 32-ए चण्डीगढ़ में उपलब्ध करवाई जानी हैं। विभिन्न फुटकर कामों के विवरण इस प्रकार से हैं:-

i) सफाई कर्मी को पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/हिमाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र के कार्यालय भवन और कार्यालय परिसर व कार्यालय परिसर के बाहर वाले क्षेत्रों में सफाई करनी होगी, वे कार्यालय भवन के कमरों, कोरिडोर, वाशरूम(शौचालय) इत्यादि की साफ-सफाई करेंगे और छोटे व बड़े कूड़ादान/डस्टबिन का कचरा भी खाली करेंगे। उनका कार्य समय सभी कार्य-दिवसों में 9:00 बजे से 17:30 बजे समाप्त होगा और सप्ताहांत छुट्टी होगी। निदेशक पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/हिमाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र को आवश्यकतानुसार उनके कार्य का समय बदलने के लिए और अन्य सफाई कार्य देने के लिए अधिकार संरक्षित रहेंगे।

ii) माली को कार्यालय परिसर के अन्दर व इसके बाहरी क्षेत्र में बाग-बगीचों की साफ-सफाई, पौधों फूल व घास इत्यादि उगाने, पौधों व पेड़ों की छांट-छंटाई करने, समय-समय पर कीटनाशकों के छिड़काव और पौधों को पानी देने इत्यादि के कार्यों पर लगाया जाएगा। सभी कार्य-दिवसों में उनका कार्य समय 09:00 बजे से 17:30 बजे होगा और सप्ताहांत छुट्टी होगी। निदेशक पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र को आवश्यकतानुसार उनके कार्य का समय बदलने के लिए और अन्य सफाई कार्य देने के लिए अधिकार संरक्षित रहेंगे।

iii) सहायक हलवाई पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र के अधीन, कार्य करेंगे और उन्हें कार्यालय कैन्टीन में खाना बनाने, स्नैक्स (हल्का नाश्ता) चाय, कॉफी इत्यादि कार्यों के लिए लगाया जाएगा। सभी कार्य-दिवसों में उनका कार्य समय 9:00 बजे से 17:30 बजे होगा और सप्ताहांत छुट्टी होगी। आवश्यकतानुसार निदेशक पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र को उनके कार्य का समय बदलने और बावरची (Cooking) कार्य देने के लिए अधिकार संरक्षित रहेंगे।

iv) पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र के अधीन कैन्टीन में कूपन क्लर्क कैन्टीन में बिकने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों के कैन्टीन कमेटी द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार कूपन बांटेंगे या बेचेंगे और उनका पूरा लेखा-जोखा रखने के लिए जिम्मेवार होंगे। सभी कार्य-दिवसों में उनका कार्य समय 9:00 बजे से 17:30 बजे होगा और सप्ताहांत छुट्टी होगी। आवश्यकतानुसार निदेशक पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र को उनके कार्य का समय बदलने और उनसे संबंधित अन्य कार्य देने के लिए अधिकार संरक्षित रहेंगे।

v) पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र के अधीन कैन्टीन में काउंटर क्लर्क, काउंटर के सभी कार्यों के लिए जिम्मेवार होंगे जैसे कि कूपन प्राप्त कर चाय, स्नैक्स और भोजन इत्यादि बांटना। सभी कार्य-दिवसों में उनका कार्य समय 9:00 बजे से 17:30 बजे होगा और सप्ताहांत छुट्टी होगी। आवश्यकतानुसार निदेशक पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र को उनके कार्य का समय बदलने और उनसे संबंधित अन्य कार्य देने के लिए अधिकार संरक्षित रहेंगे।

vi) पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र में कार्यालय में क्लर्क हिन्दी, अंग्रेजी में टाईपिंग का कार्य करेगा और उसे पत्राचार, लेखा का ज्ञान होना चाहिए। सभी कार्य-दिवसों में उनका कार्य समय 9:00 बजे से 17:30 बजे होगा और सप्ताहांत छुट्टी होगी। आवश्यकतानुसार निदेशक पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र को उनके कार्य का समय बदलने और उनसे संबंधित अन्य कार्य देने के लिए अधिकार संरक्षित रहेंगे।

vii) सर्वे कॉम्पलैक्स, दक्षिण मार्ग, सेक्टर-32-ए कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा गार्ड (बिना हथियार) भर्ती किए जाएंगे। उन्हें सर्वेक्षण प्रशासन द्वारा निर्धारित दिन-रात की शिफ्टों में ड्यूटी देनी होगी। सुरक्षा गार्ड कार्यालय में अग्निशमन (Fire fighting) कार्यवाही में भी सहायता करेंगे।

3. करार अवधि और कार्मिकों की संख्या:

i)	अपेक्षित सफाई कार्मिकों की संख्या	:	02 (दो) करार अवधि- 12 (बारह) महीने
ii)	अपेक्षित माली कार्मिकों की संख्या	:	02 (दो) करार अवधि- 12 (बारह) महीने
iii)	अपेक्षित सहायक हलवाई कार्मिकों की संख्या	:	01 (एक) करार अवधि- 12 (बारह) महीने
iv)	अपेक्षित कूपन क्लर्क कार्मिकों की संख्या	:	01 (एक) करार अवधि- 12 (बारह) महीने
v)	अपेक्षित काउंटर क्लर्क कार्मिकों की संख्या	:	01 (एक) करार अवधि- 12 (बारह) महीने
vi)	अपेक्षित क्लर्क कार्मिकों की संख्या	:	02 (दो) करार अवधि- 12 (बारह) महीने
vii)	अपेक्षित सुरक्षा गार्डों कार्मिकों की संख्या	:	10 (दस) करार अवधि- 12 (बारह) महीने

नोट: उपरोक्त सफाई कर्मचारी, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्डों (बिना हथियार) की संख्या और करार अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

4. निविदाकार की पात्रता

i) करार नियमों व शर्तों के सन्तोषजनक पालन हेतु सेवा-प्रदाता के चण्डीगढ़ में स्थानीय कार्यालय होने चाहिए।
ii) निविदाकार के पास वैध कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पंजीकरण, कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) पंजीकरण, सेवा कर (Service Tax) पंजीकरण, आवश्यक आयकर खाता (TAN/PAN), वैट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,, उक्त सेवाएं प्रदान करने हेतु उपायुक्त (श्रम आयुक्त) चण्डीगढ़ द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन और प्राईवेट सुरक्षा गार्डों की भर्ती करने संबंधी वैध लाइसेंस अवश्य होना चाहिए।

iii) फर्म का एजेंसी संचालन संबंधी अच्छा रिकार्ड, मानव संसाधन क्षमता और संबंधित अनुभव होने पर ही कोई निविदाकार उक्त निविदा हेतु पात्र आवेदक होंगे।

iv) एक बोलीदाता को एक ही निविदा देने की अनुमति दी जाएगी।

5. निविदा प्रक्रिया:

दो सीलबन्द लिफाफों में 02 बोली प्रक्रिया के अनुसार निविदाकार अपनी निविदा प्रस्तुत करेंगे:-

(क) पहले सीलबन्द, लिफाफे पर "तकनीकी बोली" लिखा जाए और उसमें निम्नलिखित कागजात डाले जाए-

- प्रस्तुत कागजातों की जांच-सूची (अनुलग्नक- क)
- अनुलग्नक ख के अनुसार पूरा भरा हुआ प्रोफार्मा
- एजेन्सी प्रोफाइल जिसमें उनका सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत संस्थाओं को मानव संसाधन उपलब्ध करवाने संबंधी विस्तृत अनुभव का उल्लेख हो।
- अनुलग्नक-ग के अनुसार निविदा दरें स्वीकरण प्रपत्र।

- v) धरोहर राशि (ई.एम.डी.) जमा करने संबंधी डिमान्ड ड्राफ्ट
- vi) अन्य अपेक्षित कागजात

(ख) दूसरे सीलबन्द लिफाफे पर 'वित्तीय बोली' अंकित किया जाए और अनुलग्नक- 'घ' प्रोफार्मा पर केवल मासिक आधार पर (निविदा) दरें लिखी जाएं।

(ग) उक्त दोनों सीलबन्द लिफाफे मुख्य सीलबन्द लिफाफे में डालकर उसपर 'बाहरी स्रोतों से सफाईवाला, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्डों (बिना हथियार) की सेवाएं देने संबंध निविदा (टेंडर) अंकित किया जाए। इसे अध्यक्ष, संयुक्त प्रबन्धन बोर्ड (सी.पी.बी.) पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, सेक्टर 32-ए, चण्डीगढ़-160030 को सम्बोधित किया जाए और डाक द्वारा अथवा दस्ती दिनांक **03-02-2017** को 5:00 बजे (अपराहन) तक टेंडर बाक्स में डालना सुनिश्चित किया जाए। उक्त टेंडर दिनांक **06-02-2017** को 11:30 बजे (पूर्वाहन) बोली कर्ताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा। यदि टेंडर प्रसि वाले दिन अथवा टेंडर खोलने वाले दिन कार्यालय बन्द होता है तो निविदा अगले दिन प्राप्त की जाएगी और उसके अगले कार्यदिवस को निर्दिष्ट समय व स्थान पर खोली जाएगी।

6. निविदायों का मूल्यांकन

i) पहले अनुलग्नक 'क' के अनुसार जांच-सूची की जांच की जाएगी कि सभी कागजात पूर्णतः भरे गए हैं ऐसा न होने पर निविदा गैर-उत्तरदायी घोषित की जाएगी और अस्वीकृत की जा सकती है।

ii) पैरा 4 के अनुसार संबंधित एजेंसियों की पात्रता अहर्ता पाए जाने पर उनके द्वारा अपेक्षित सेवाएं देने की क्षमता को जांचने के लिए तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा।

iii) अनुलग्नक 'क' के अनुसार जांच सूची कागजात सही पाए जाने पर ही तकनीकी निविदा (अनुलग्नक 'ख') खोली जाएगी यदि तकनीकी निविदा के अनुसार अपेक्षित कागजात सही नहीं पाए जाते तो निविदा गैर-उत्तरदायी/जिम्मेवार घोषित कर अस्वीकृत कर दी जाएगी। मांगी गई निविदा के उपबन्धों और निर्देशों के अनुसार ही वित्तीय बोली लगाई जाए। इस मामले में किसी प्रकार का उल्लंघन/विचलन निविदा को गैर-जिम्मेवराना माना जाएगा और अस्वीकृत घोषित करार देगा।

iv) बोली दाता द्वारा प्रस्तुत निविदाओं पर दी गई सूचनाओं की जांच की जाएगी। इस संबंध में दी गई सूचना यदि गलत अथवा झूठी पाई जाती है तो निविदा गैर-जिम्मेवराना करार कर अस्वीकृत घोषित कर दी जाएगी।

v) संयुक्त प्रबन्धन बोर्ड (सी० पी० बी०) निविदाकारों को बिना किसी आगामी संदर्भ के उनके द्वारा दी गई बोली पर बोलीकर्ता की सूचना व सन्दर्भों का सत्यापन कर सकता है।

vi) संयुक्त प्रबन्धन बोर्ड (सी० पी० बी०) के पास विवेकाधिकार सुरक्षित रहेंगे कि वे प्राप्त निविदाओं में से किसे चयन करना ठीक समझते हैं अथवा मांग-पत्र/ठेका देने संबंधी अधिसूचना जारी करने संबंधी स्वीकृति देते हैं।

vii) संयुक्त प्रबन्धन बोर्ड (सी० पी० बी०) किसी भी निविदाकार से फैक्स द्वारा लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। निविदाकार इस संबंध में सुनिश्चित अवधि के दौरान फैक्स द्वारा तुरन्त उत्तर देंगे।

viii) निविदाओं की तुलना-बोली पर बताई राशि पर सभी करें सहित की जाएगी।

7. धरोहर राशि जमा (Earnest Money Deposit)

निविदाकार अपनी बोली के साथ धरोहर राशि जमा करेंगे। वे टेन्डर खुलने के 60 दिन तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से ₹240000/- (रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/बैंक-गारण्टी धरोहर राशि के रूप में जमा करेंगे। यह धरोहर राशि स्थापना एवं लेखा अधिकारी पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र के पक्ष में चण्डीगढ़ में देय होनी चाहिए। बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदाएं अस्वीकृत कर दी जाएगी। निविदा प्रक्रिया में असफल घोषित निविदाकारों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रस्तुत करने की अवधि के पश्चात 30 दिनों के भीतर उनकी धरोहर राशि वापिस कर दी जाएगी। निविदा प्रक्रिया में सफल निविदाकर्ता को उनके द्वारा इस टेन्डर कागजात में निर्धारित शर्तों व नियमों के अनुसार संविदा करार पर हस्ताक्षर और उनसे परफार्मेंस निधिप्राप्त करने के उपरान्त उनकी धरोहर राशि लौटा दी जाएगी। बोली की जमानत राशि (BID SECURITY AMOUNT) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

यदि सफल निविदाकर्ता परफार्मेंस निधि अर्थात् बोली की जमानत राशि जमा नहीं करते तो उनके द्वारा दी गई धरोहर राशि बिना किसी संदर्भ के जब्त कर ली जाएगी।

8. संविदाकर्ता के लिए निर्देश

i) संविदाकर्ता को टेन्डर के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने हैं। सीलबन्द लिफाफे पर "बाहरी स्रोतों द्वारा सफाईवाला, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्डों (बिना हथियार) की सेवाएं उपलब्ध करवाने संबंधी टेन्डर" अंकित करें। लिफाफों पर ऐसा अंकन न होने पर उन्हें अस्वीकृत घोषित किया जा सकता है।

ii) यह संविदाकर्ता की जिम्मेवारी है कि उनके द्वारा प्रस्तुत संविदायें बताए गए पते पर निर्धारित समय व तिथि तक अध्यक्ष संयुक्त प्रबन्धन बोर्ड के पास पहुंच जाएं। यदि संविदा समय पर डाक द्वारा पहुंचाने के बावजूद भी समय पर नहीं प्राप्त होती या गलत पता लिखने के कारण गलत पते पर से अथवा अन्य कारणों से इस कार्यालय को विलम्ब से प्राप्त होती है तो अध्यक्ष संयुक्त प्रबन्धन बोर्ड इस पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

iii) सभी उक्त सेवाएं कार्यकुशल व्यक्तियों द्वारा की जाएंगी। उक्त सेवा प्रदाता 18 वर्ष की आयु से कम नहीं होंगे और इस कार्यालय के कार्मिकों के कार्य में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करेंगे। यदि सेवा प्रदाता द्वारा भर्ती हेतु दिया गया कार्मिक इस कार्यालय द्वारा अक्षम पाया जाता है तो वे इस कार्यालय की आवश्यकतानुसार अन्य कार्मिक उपलब्ध करवाएंगे।

iv) अध्यक्ष संयुक्त प्रबन्धन बोर्ड पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र किसी भी संविदा के सुनिश्चित समय व दिनांक तक न पहुंचने के कारण जैसे कि डाक द्वारा विलम्ब या निविदा न प्राप्त होने की स्थितियों में किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होंगे।

v) निविदा दरें प्रति व्यक्ति मासिक आधार पर दी जाएं। प्रस्तावित दरें टेन्डर खुलने के 120 दिनों तक वैध मानी जाएंगी। उक्त वैध अवधि के कम होने पर संविदा अस्वीकृत की जा सकती है। संविदा की प्रस्तावित दरें 12 (बारह) महीने तक स्थायी और अन्तिम हों और करार अवधि के समाप्त होने के 3 महीने तक लागू होंगी। करार अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के सांविधिक कारणों से संविदा दरों में परिवर्तन का वहन संबंधित एजेंसी करेगी मगर न्यूनतम वेतन में परिवर्तन भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा देय होगा। अतः संविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उसी के मद्देनजर भारतीय सर्वेक्षण विभाग को अपनी दरें बताएं।

vi) वित्तीय निविदा प्रस्तुत करते समय सांविधिक प्रभार जैसे कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) और सेवा कर इत्यादि का अंशदान जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा न्यूनतम दरों के अतिरिक्त देय होंगे का भी स्पष्ट उल्लेख करें। फिर भी संविदाकर्ता सेवा/रख-रखाव प्रभार (अतिरिक्त बंधे खर्च, निरीक्षण प्रभार, बोनस ग्रेच्युटी, वर्दियां, ट्रेनिंग फीस इत्यादि) के संबंध में अनुलग्नक 'ग' पर स्पष्ट शर्तों में उल्लेख करें। अतार्किक तौर पर अत्यन्त कम उल्लिखित सेवा-प्रभार दरों वाली बोली पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

vii) सफाईवाला, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्डों (सिविलियन/बिना हथियार) कार्मिकों को अन्य स्रोतों द्वारा उपलब्ध करवाने वाली एजेंसी उनके मासिक कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा (नियोजक व कार्मिक दोनों अंशदानों को) सेवा कर इत्यादि सहित संबंधित कार्यालयों में जमा करवाने के लिए जिम्मेवार होगी। इस संबंध में प्रत्येक कार्मिक के संबंध में नामांकन संख्या सहित की गई कटौती व संबंधित कार्यालय में जमा की गई राशि के ब्यौरे इस कार्यालय की लेखा शाखा में अगले माह का बिल प्रस्तुत करते समय उसके साथ प्रस्तुत करने होंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार से भारतीय सर्वेक्षण विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

viii) प्रस्तावित दरें निश्चित और अन्तिम होनी चाहिए और सभी करों इत्यादि सहित हों जैसे कि सेवा कर, कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान, नियोक्ता अंशदान, कर्मचारी राज्य बीमा नियोक्ता अंशदान (EPF/ESIC) इत्यादि। सभी श्रेणी की मानव संसाधन/सेवाओं की दरें प्रति व्यक्ति मासिक आधार पर-सप्ताहांत छुट्टी सहित बताई जाएं। इस संबंध में चयन बोर्ड प्रति व्यक्ति की मासिक रूपसे दर से कुल राशि के आधार पर संविदा स्वीकृत करेंगे।

ix) पूर्ण टेन्डर प्रस्ताव: बोली कर्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे टेन्डर कागजात के सभी निर्देशों, फार्मों के नियम व शर्तों का अच्छे से अवलोकन व पालन करें। टेन्डर कागजातों पर अधूरी सूचना उन्हें अस्वीकृत करार कर सकती है। टेन्डर कागजात साफ-सुथरे भरे जाएं और किसी भूल सुधार किए कालम को टेन्डर हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत करेंगे। वित्तीय बोली पर सफेद फ्ल्यूड/इरेजएक्स इत्यादि के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है।

x) भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कार्मिक अथवा उनके नजदीकी रिश्तेदार इस निविदा प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकते।

xi) तैनात कार्मिकों का पुलिस सत्यापन संविदाकर्ता को करवाना होगा और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की सूचना/रिकार्ड के लिए पुलिस सत्यापन रिपोर्ट कार्यालय में देनी होगी।

xii) ठेकेदार द्वारा तैनात सफाईवाला, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्डों (बिना हथियार) कर्मियों की श्रम कानून अथवा अन्य लागू कानूनों के अनुसार नियमित स्वास्थ्य जांच करवाई जाएगी।

xiii) ठेकेदार सुनिश्चित करेंगे कि सफाईवाला, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्डों (बिना हथियार) कर्मिक अपनी ड्यूटी के दौरान साफ-सुथरी वर्दी पहने जिसके लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग की ओर से कोई अतिरिक्त अदायगी नहीं की जाएगी।

xiv) सफल बोलीकर्ता 5/-रूपये के गैर न्यायिक सटैम्प पेपर पर निम्नलिखित शपथ-पत्र नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करेंगे और वह टेंडर करार का हिस्सा होगा:-

हम मैसर्जका, में रजिस्टर्ड कार्यालय है। सफाईवाला, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्डों की भर्ती का ठेका जो हमें दिया गया है, के संबंध में EPF, ESI, EDLI और सेवा-कर इत्यादि संबंधित कार्यालयों में नियमित तौर पर जमा करेंगे और हम मैसर्जकामें रजिस्टर्ड कार्यालय है सफाईवाला, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड (बिना हथियार) कर्मियों के श्रम कानून अथवा अन्य स्थानीय लागू कानूनों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होंगे।

इसके अतिरिक्त हम मैसर्ज(सफाईवाला, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड (बिना हथियार) कामिकों के नियोक्ता एवं कर्मचारी EPF, ESI, EDLI अंशदान और सेवाकर इत्यादि देय तिथियों तक संबंधित कार्यालयों में जमा कर चालान की सत्यापित प्रतियां अगले बिल के साथ प्रस्तुत कर देंगे (प्रत्येक कर्मिक के संबंध में स्पष्ट इन्दराज सहित जिसकी ड्यूटी हेतु तैनाती की गई है) सभी सांविधिक देयता सहित मासिक मजदूरी बिल तभी जारी किया जाएगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि संबंधित कर्मिकों के संबंध में पिछले महीने की सभी सांविधिक देय राशियां समुचित प्राधिकारियों को चालान द्वारा जमा कर दी गई हैं।

यदि ठेकेदार समुचित चालान प्रतियां प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग को अधिकार होगा कि उक्त राशि बिलों से काट कर संबंधित प्राधिकृत कार्यालयों में जमा कर दी जाए। यदि इस संबंध में देरी से भुगतान के कारण संबंधित कार्यालय द्वारा कोई जुर्माना लगाया जाता है तो इसकी देनदारी ठेकेदार की होगी। इस तरह की भुगतान राशि के प्रमाण ठेकेदार को दे दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त ESI कापॉरेशन की स्थायी आवश्यकतानुसार उन्हे प्रस्तुत करने हेतु सफाईवाला, माली, हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड (बिना हथियार) सभी कर्मिकों के ESI कार्ड, ESI कोड सहित की प्रतियां भारतीय सर्वेक्षण विभाग को जमा कराई जाएंगी। इस तरह सभी कर्मिकों के संबंध में EPF Code भी इस कार्यालय को देना होगा।

xv) संविदाकर्ता अनुबंध को पूर्णरूपेण अथवा उसके किसी हिस्से को अन्य को नहीं देगी।

xvi) यदि ठेकेदार द्वारा प्रदत्त सेवाएं इस विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सही नहीं पाई जाती अथवा ठेके के नियमों व शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अध्यक्ष CPB के दायित्व व खर्च पर अन्य स्रोतों से सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे।

xvii) भारतीय सर्वेक्षण विभाग ठेकेदार के आन्तरिक/अन्दरूनी मामलों में किसी प्रकार से भी संबंधित नहीं होगा जैसे कि तृतीय पार्टी से कोई विवाद/लड़ाई-झगडा और कम्पनी विलयन संबंधी परिस्थितियों में।

(क) भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पास यह अधिकारी सुरक्षित रहेंगे कि यदि ठेका करार के अनुसार कम्पनी द्वारा कर्मिक उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं या लगातार सेवा-शर्तों में कमियां पाई जाती है तो अध्यक्ष संयुक्त खरीद बोर्ड कम्पनी पर जुर्माना लगा सकते हैं अथवा ठेका रद्द भी कर सकते हैं।

(ख) यदि उपरोक्त परिस्थितियों (क) में कम्पनी पर 5 बार से अधिक जुर्माना लगाया जाता है तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग उनका ठेका रद्द करके उनकी धरोहर राशी जब्त कर सकता है और 3 वर्ष के लिए कम्पनी को पुनः टेण्डर में भाग लेने के लिए ब्लैक लिस्ट कर सकता है।

xviii) ठेकेदार भारतीय सर्वेक्षण विभाग परिसर में अपने लगाए गए कर्मिकों के संबंध में मूल मजदूरी, सांविधिक देयता, संविदा सेवा प्रभार इत्यादि सहित समेकित मजदूरी बिल निम्नलिखित कागजातों के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे:-

(क) संबंधित कार्मिकों की भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरीत उपस्थिती रिपोर्ट।
(ख) संबंधित कार्मिकों के पिछले महीने के अगले महीने की 03 तारीख तक कर्मचारी भविष्य निधि EPF व कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) की मासिक किस्त/अंशदान (नियोक्त व कर्मचारी दोनों का अंशदान), सेवा कर इत्यादि संबंधित कार्यालयों में जमा करने संबंधी समर्थन में अपेक्षित कागजात निदेशक, पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी डी सी तथा निदेशक, हिमाचल प्रदेश जी डी सी को प्रस्तुत करेंगे।

xix) ठेकेदार ठेके पर लगाए गए कार्मिकों को कार्यालय की लेखा-शाखा के साथ विचार-विमर्श कर वार्षिक EPF विवरणियां तैयार करके भी जारी करेंगे। ठेकेदार पूरी तरह से श्रम विभाग/ EPF/ ESI संस्थानों के नियमानुसार ठेके पर लगाए गए कार्मिकों संबंधी रिटर्नों को समय पर न भेजने या ना प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेवार होंगे।

xx) ठेकेदार स्वयं निर्धारित समय तक कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने और ठेके पर लगाए कार्मिक को समय पर मजदूरी भुगतान के लिए जिम्मेवार होंगे।

xxi) ठेका अवधी समाप्त होने पर ठेका एजन्सी द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्मिक अपने आप कार्यमुक्त माने जाएंगे। तथापि ठेका एजन्सी सरकारी नियमानुसार उनके सभी वैध भुगतान करेगी। इस संबंध में किसी प्रकार के वाद-विवाद जैसे कि किसी कार्मिक की सेवाएँ इत्यादि समाप्त करने की परिस्थितियों में यां उन्हें देय भुगतान न करने की परिस्थितियों में ठेका कम्पनी की जिम्मेवारी होगी कि वह सभी भुगतान मामले स्वयं निपटाएगी। ठेकेदार अपने द्वारा लगाए गए कार्मिकों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारियों/न्यायालय इत्यादि द्वारा दिए गए आदेशों के पूर्ण अनुपालन के लिए जिम्मेवार होंगे।

xxii) उक्त करार के संबंध में कोई नोटिस अथवा अनुमति इत्यादि ठेकेदार के मालिक अथवा पार्टनर को सम्बोधित की जाएगी और स्पीड-पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी इसी प्रकार ठेकेदार भारतीय सर्वेक्षण विभाग, अध्यक्ष प्रबंधन बोर्ड को सम्बोधित करते हुए स्पीड-पोस्ट द्वारा भेजेंगे।

xxiii) यदि पाया जाता है कि ठेकेदार द्वारा ठेके पर लगाए कार्मिकों को कोई वेतन मजदूरी, भत्ता अथवा विधिक भुगतान की अदायगी बाकी है अथवा उनके कार्मिकों द्वारा इस कार्यालय की सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचा है तो उक्त भुगतान की भरपाई ठेकेदार की धरोहर राशी से काट ली जाएगी और इस कार्यालय को यह भी प्राधिकार रहेगा कि यदि इसके बावजूद भी कोई भुगतान बकाया बचता है तो उसे अन्य तरीकों से वसूल किया जाएगा और बिना नोटिस दिए करार रद्द करने का अधिकार भी संरक्षित रहेगा।

xxiv) इस कार्यालय की आवश्यकतानुसार या अत्यावश्यक होने पर सेवा प्रदाता कम्पनी न्यूनावधि अथवा थोड़े समय के लिए भी अपेक्षित कार्मिक उपलब्ध कराएगी।

xxv) यदि ठेके पर लगाए गए किसी कार्मिक की व्यक्तिगत कारणों से छोड़ने की संभावना/परिस्थितियां बनती है तो ठेकेदार उस कार्मिक के बदले में दूसरा कार्मिक तुरन्त उपलब्ध करवाएंगे। इस संबंध में किसी प्रकार के अतिरिक्त (ओवरलैपिंग) अवधी के भुगतान की जिम्मेवारी सेवा-प्रदाता की होगी।

xxvi) सेवा प्रदाता कम्पनी हर समय संवाद/सम्प्रेषण के लिए मौजूद रहेगी इस कार्यालय द्वारा फोन/ई-मेल/फैक्स/ विशेष प्रेषण वाहक इत्यादि द्वारा भेजे सन्देशों की प्राप्ति सूचना उसी दिन देगी। संविदा करार की पूर्ति हेतु इस विभाग द्वारा दिए गए समय-समय पर निर्देशों का पूर्ण पालन करेगी।

xxvii) सेवा प्रदाता कम्पनी सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा लगाए गए कार्मिक अपनी ड्यूटी के दौरान कार्यालय की किसी भी वस्तु, सामान अथवा उपकरण इत्यादि को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाएं। इस संबंध में किसी भी प्रकार की हुयी क्षति के लिए सेवा प्रदाता कम्पनी जिम्मेदार होगी। यदि इस संबंध में इस कार्यालय को ठेकेदार के कर्मियों की लापरवाही, गलती अथवा चोरी इत्यादि के कारण किसी प्रकार का नुकसान/क्षति पहुँचती है तो सेवा प्रदाता कम्पनी उस नुकसान/क्षति की भरपाई करेगी। इस संबंध में सेवा प्रदाता एजन्सी इस कार्यालय के किसी भी नुकसान अथवा क्षति के क्षतिपूर्ण हेतु उत्तरदायी रहेगी। एजन्सी द्वारा लगाए गए कार्मिकों की यदि उनकी ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना अथवा परिवार के बाहर मृत्यु दुर्घटना अथवा किसी भी प्रकार की

चोट इत्यादि होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की हर्जाना राशी के लिए यह कार्यालय जिम्मेवार नहीं होगा। उक्त भरपाई की जिम्मेवारी एजेन्सी की होगी। उक्त सभी परिस्थितियों में सेवा प्रदाता कम्पनी ही उत्तरदायी होगी।

xxviii) सेवा प्रदाता कम्पनी अपने द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्मिकों को फोटो पहचान-पत्र जारी करेगी। उक्त पहचान-पत्र का वह हमेशा प्रदर्शन करेंगे और गुम होने पर उसकी सूचना तुरन्त कम्पनी को देंगे।

xxix) सेवा प्रदाता कम्पनी सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए कार्मिक कार्यालय परिसर में नशीले पेय शराब, पान, धूम्रपान इत्यादि का प्रयोग न करें और व्यर्थ में इधर-उधर न घूमें।

संविदा की अन्य शर्तें व नियम

(क) कार्य निष्पादन सुरक्षा जमानत / परफॉर्मेंस निधि:-

संविदा प्रक्रिया में सफल फर्म को अनुबंध से पूर्व पूरी ठेका राशी की 10% राशी परफॉर्मेंस निधि के रूप अनुबंध खत्म होने के 60 दिन के पश्चात तक के लिए स्थापना व लेखा अधिकारी, पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जीडीसी के पक्ष में एकाउंट पेयी डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंक गारन्टी के रूप में सरकारी हित में जमा करनी होगी। यदि सेवा प्रदाता की ओर से अनुबंध पत्र के इकरारनामे के अनुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग को किसी प्रकार की हानि/जुर्माना/परिनिर्धारित नुकसान (Liquidated damages) होता है तो उनके द्वारा जमा की गई परफॉर्मेंस निधि हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति मुआवजे के रूप में अग्रसर हो जाएगी।

यदि इस कार्यालय द्वारा किसी फर्म/एजेन्सी का यह ठेका दे दिया जाता है परन्तु उक्त फर्म/एजेन्सी अपनी स्वीकार्य दरों पर निर्धारित तिथि और समय पर इस कार्यालय को सफाईवाला, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्डों (सिविलियन/बिना हथियार) की सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाती तो उनको दिया गया ठेका रद्द कर दिया जाएगा और उनके द्वारा जमा परफॉर्मेंस निधि जब्त कर ली जाएगी।

(ख) कार्मिकों द्वारा सद्भवहार:-

i) अनुबंधित एजेन्सी प्रशिक्षित सफाईवाला, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड कार्मिक इस कार्यालय को उपलब्ध करवाएगी और उन सभी के संबंध में प्रमाण-पत्र देगी कि उनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए सफाईवाला, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड (सिविलियन/बिना हथियार) कार्मिक प्रशिक्षित हैं और उन्हें पूर्व में सेवा के दौरान अपराधिक दोषारोपण, चोरी अथवा अविश्वसनीयता आधारों पर नौकरी से नहीं हटाया गया।

ii) सेवा प्रदाता ठेकेदार सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गए सफाईवाला, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड कार्मिकों का व्यवहार अच्छा हों। उन कार्मिकों के किसी भी प्रकार के कदाचार अथवा दुर्व्यवहार के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होंगे। यदि उनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए किसी भी कार्मिक के विरुद्ध इस संबंध में कोई शिकायत पाई जाती है तो ठेकेदार तुरन्त उस कार्मिक के बदले में अन्य कार्मिक को इस कार्यालय में उपलब्ध करवाएंगे।

iii) सेवा प्रदाता ठेकेदार कार्यालय में यह शपथ-पत्र भी देंगे कि उनके द्वारा ठेके पर उपलब्ध करवाए गए सफाईवाला, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड (सिविलियन/बिना हथियार) कार्मिक भविष्य में इस कार्यालय में नियमित सरकारी रोजगार की माँग नहीं करेंगे। यदि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा अनुबंधित ठेकेदार की सेवाएं असन्तोषजनक पाई जाती है तो ठेकेदार को एक महीने की पूर्व सूचना देकर ठेका रद्द किया जा सकता है।

(ग) ठेकेदार स्टाफ के छुट्टी पर जाने की परिस्थितियों में:-

अनुबंधित ठेकेदार, करार के अनुसार उनके प्रतिदिन सभी कार्मिक ड्यूटी के लिए हाजिर रहेंगे और किसी कार्मिक के छुट्टी पर जाने की अवस्था में उसके बदले में ठेकेदार अन्य कार्मिक उपलब्ध करवाएंगे।

(घ) भुगतान अदायगी शर्तें -

लागू नियमों/अधिनियमों के अनुसार आयकर अथवा अन्य करों की कटौति करने के उपरान्त सेवा प्रदाता कम्पनी को उनके द्वारा तैनात कार्मिकों को वेतन देने के लिए करार दरों के अनुसार मासिक आधार पर राशि भुगतान किया जाएगा।

2) ठेकेदार, सफाईवाला, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्डों (सिविलियन/बिना हथियार) को उनका वेतन हर महीने की 07 तारीख तक उनके बैंक खाते में आर टी जी (RTGS) द्वारा जमा करके उसकी सूचना प्रति इस कार्यालय में देंगे।

3) इस कार्यालय द्वारा सफाईवाला, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड को किसी प्रकार का सीधा भुगतान नहीं किया जाएगा और उनकी खंडित/न्यूनावधि सेवाओं का भुगतान यथानुपात (Pro rate basis) आधार पर किया जाएगा। यदि इस कार्यालय द्वारा प्रशासनिक और वित्तीय कारणों से ठेकेदार को किसी माह की अदायगी में थोड़ी देरी हो जाती है तो वे किसी प्रकार की आर्थिक क्षतिपूर्ति की मांग नहीं करेंगे।

ठेकेदार द्वारा तैनात कार्मिकों को मुआवजा/क्षतिपूर्ति

यह स्पष्टतः समझा जाएगा कि ठेकेदार द्वारा ठेके पर इस कार्यालय में तैनात सफाईवाला, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउंटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड(सिविलियन/बिना हथियार) सभी परिस्थितियों/प्रयोजनों में ठेका एजेन्सी के कर्मिक माने जाएंगे।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ उन कर्मिकों का कोई नियोक्ता व कर्मचारी अथवा मालिक व नौकर का संबंध नहीं होगा सिवाए इसके कि उन्हें सभी भारतीय सर्वेक्षण विभाग में प्राधिकृत/नियन्त्रण अधिकारियों के आदेशों का पालन करना होगा।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग ठेकेदार के द्वारा लगाए गये कार्मिकों के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रत्यक्ष अथवा कोई दावा, क्षति, क्षतिपूर्ति मुआवजा इत्यादि के संबंधमें यदि कोई विधिसम्मत प्राधिकृत आदेश पारित हो जाते हैं जैसे कि ठेका कार्मिकों की यदि उनकी ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना अथवा परिसर के बाहर मृत्यु दुर्घटना अथवा किसी भी प्रकार की चोट इत्यादि होने की स्थिति में यह कार्यालय किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। ठेकेदार इस प्रकार के दावों/क्षति को भारतीय सर्वेक्षण विभाग को क्षतिपूर्ति से विमुक्त रखेंगे।

(च) ठेकेदार को किसी भी वकील/अधिवक्ता के द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(छ) सांविधिक कानूनों के उपबन्धों का अनुपालन

i) ठेकेदार स्वीकृत ठेका निष्पादन हेतु केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रदेश चण्डीगढ़ अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी सभी कानूनों, नियम विनियमों और निर्देशों का पूर्ण पालन करेंगे। इन कानूनों, नियम-विनियमों और निर्देशों का उल्लंघन संविदा-भंग समझा जाएगा। यदि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को इस संबंध में किसी अन्य प्रकार का अथवा आर्थिक नुकसान होता है तो इसकी भरपाई की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।

ii) यदि ठेकेदार के कोई कार्मिक किसी भी प्रकार के झगड़े में संलग्न हो जाते हैं तो इसके निपटान की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। यदि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को इस प्रकार के किसी मामले में पार्टी/पक्षकार बनाया जाता है जिससे मामले में वाद विवाद (Contest the case) करने हेतु बकील की फीस व अन्य खर्च पड़ते है तो ठेकेदार को इन खर्चों के संबंध में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की मांग पर अग्रिम अदायगी करनी होगी। इस संबंध में ठेकेदार सुनिश्चित करेंगे कि ठेकेदार के कार्मिकों द्वारा इस तरह के कृत कार्यों के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर किसी प्रकार का वित्तीय अथवा विधिक उत्तरदायित्व न हो। इस संबंध में क्षतिपूर्ति की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।

(ज) श्रम विनियमों (अधिनियमों) का अनुपालन

ठेकेदार स्वीकृत ठेके के अनुसार वर्तमान और भविष्य में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रदेश चण्डीगढ़ अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अथवा अन्य श्रम कानूनों (नियमों सहित) और उनके अधीन जारी विनयमों, उपविधि नियमों के संबंध में जारी आदेशों और अधिसूचनाओं का पूर्ण पालन करेंगे।

यदि प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी अधिनियम के नियमों के अधीन विनयमों अथवा कोई अधिसूचना जारी होने पर अथवा इस संबंध में कोई संशोधन होने पर नियोक्ता पर कोई कार्यवाही की जाती है तो ठेकेदार इसकी क्षतिपूर्ति करेंगे जैसे कि यदि इस संबंध में ठेकेदार इसकी क्षतिपूर्ति करेंगे जैसे यदि इस संबंध में ठेकेदार द्वारा किसी अधिसूचना के उपबन्धों पर/उपविधि/अधिनियम/नियम/विनयमों इनमें किसी प्रकार का संशोधन होने पर उसके अनुपालन ना करने पर नियोक्ता पर किसी भुगतान करने का उत्तरदायित्व पड़ता है।

i) सफल ठेकेदार को इस शर्तों व नियमों पर इस कार्यालय की आवश्यकतानुसार उपयुक्त और योग्य कार्मिक उपलब्ध करवाने के लिए 100/- रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इस कार्यालय के साथ करार करना होगा। उक्त करार निष्पादन हेतु गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर का प्रबंध ठेकेदार स्वयं करेंगे। यह करार ठेकेदार द्वारा इस कार्यालय को कार्मिक उपलब्ध करवाने के 12 महीने तक वैध होगा और उसके 03 महीने पश्चात तक भी वैध होगा अथवा इसके पहले उसे लिखित में रद्द किया जाएगा। एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत निवेदित दरें, सेवा प्रभार 15 महीने के लिए तय किए जाएंगे और ठेका अवधि के समाप्त होने से पूर्व किसी भी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन हेतु कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। किसी प्रकार की सांविधिक मजदूरी/दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा वहन की जाएगी।

सफल निविदाकार को सफाईवाला कार्मिक के संबंध में इस टेंडर कागजात में दी शर्तों और नियमों के अनुसार निदेशक, पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र और निदेशक, हिमाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र के साथ एक और करार निष्पादित करना होगा।

सफल निविदाकार को माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काऊटर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड (सिविलियन बिना हथियार) कार्मिक सेवाएं प्रदान करने के लिए इस टेंडर कागजात में दी शर्तों और नियमों के अनुसार निदेशक, पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र के साथ एक और करार निष्पादित करना होगा।

10. निम्नलिखित संभाव्य स्थितियों में निविदा / ठेका रद्द किया जा सकता है

i) करार अवधि समाप्त होने पर

अथवा

ii) ठेकेदार द्वारा प्रदत्त सेवाएं सन्तोषजनक न पाए जाने के फलस्वरूप सेवा अवधि में किसी भी समय नोटिस दे कर।

अथवा

iii) ठेकेदार द्वारा करार के अनुसार किन्हीं भी निर्देशों/शर्तों व नियमों का उल्लंघन करने पर।

अथवा

iv) ठेकेदार द्वारा करार के अनुसार ठेके को पूरा अथवा आंशिक तौर पर किसी तृतीय पार्टी/व्यक्ति को देने पर या इस संबंध में किसी अन्य को कोई लाभ देने पर।

अथवा

v) प्राधिकृत न्यायालय द्वारा ठेकेदार दिवालिया घोषित करने पर

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में ठेका रद्द करने के नोटिस अवधि के दौरान ठेकेदार पहले की तरह अपनी सेवाएं इस कार्यालय का प्रदान करते रहेंगे जब तक उनकी नोटिस अवधि समाप्त नहीं जो जाती। इस संबंध में ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह ठेका समाप्त होने पर (चाहे जो भी आधार हो) अपने सभी कार्मिक हटा लें और सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति भारतीय सर्वेक्षण विभाग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान /समस्या न करें।

11. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कारण बताए किसी भी अथवा सभी निविदायों को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

12. इस टेंडर के संबंध में यदि कोई झगडा अथवा मतभेद की परिस्थितियां पैदा होती है (इस ठेका करार में बताई परिस्थितियों में प्रदत्त निर्णयों के अतिरिक्त) तो प्रथमतः निदेशक, पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ भू- स्थानिक आंकडा केन्द्र इसे सुलझाएंगे। झगडा ना सुलझने की परिस्थितियों में मामला भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को मध्यस्थता हेतु पेश किया जाएगा। उक्त मध्यस्थता निर्णय दोनो पक्षों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा।



(चन्द्र पाल)

निदेशक

अध्यक्ष

संयुक्त प्रबन्धन बोर्ड

पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ जी डी सी

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, चण्डीगढ

अनुलग्नक- 'क'

निविदा के साथ लगाने वाले कागजातों / दस्तावेजों की जांच-सूची (Check List)

क्रम सं०	निविदा के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज	साथ लगाए गए दस्तावेज(हां)	नहीं लगाए गए दस्तावेज (नहीं)	टिप्पणी
1	फर्म के पंजीकरण संबंधी प्रतिलिपि			
2	कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि			
3	कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि			
4	मानव संसाधन सेवा प्रदाता (सुरक्षा कर्मियों सहित) फर्म चलाने के लिए प्राप्त लाईसेंस			
5	पिछले 02 वर्षों की आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि			
6	सेवा कर पंजीकरण की प्रतिलिपि			
7	PAN/TAN (पैन/टैन) कार्ड की प्रतिलिपि			
8	प्रतिष्ठित ग्राहकों की सूची व उनके साथ किए गए कार्यों और अवधि संबंधी विवरण			
9	अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र			
10	चार्टरित लेखाकार (Chartered Account) द्वारा पिछले 02 वर्ष की लेखा			

	परीक्षण विवरणी			
11	रूपये 240000/- धरोहर राशि जमा करने संबंधी बैंक ड्राफ्ट			

संविदा (ठेका) एजेन्सी के सील (मोहर) सहित हस्ताक्षर

संविदाकार का पूरा नाम व पता और दिनांक

तकनीकी बोली (संविदा) का प्रोफार्मा

क्रम सं०	विवरण	संविदाकार (ठेकेदार) द्वारा भरा जाए
1	एजेन्सी का नाम	
2	एजेन्सी स्थापना की तिथि	
3	एजेन्सी का विस्तृत पता, कार्यालय टेलीफोन नम्बर, फैक्स नम्बर, मोबाइल नम्बर और संविदाकार का नाम	
4	क्या सभी संबंधित प्राधिकृत सरकारों से पंजीकृत हैं और लाइसेंस प्राप्त हैं संविदा श्रमिक (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के अधीन पंजीकरण सहित) (सभी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रतियां संलग्न करें)	
5	PAN/TAN (पैन/टैन) कार्ड संख्या की (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
6	श्रमिक लाइसेंस संख्या (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
7	सेवा कर पंजीकरण संख्या (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
8	कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पंजीकरण संख्या (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
9	कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) पंजीकरण संख्या (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
10	क्या फर्म/एजेन्सी को किसी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया है अथवा फर्म अथवा इसके मालिक/दण्डनीय मामला भारत में पंजीकृत है (यदि नहीं तो इस संबंध में एक प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
11	संबंधित क्षेत्रों में काम करने संबंधी अनुभव की अवधि	
12	सरकारी विभागों में काम करने का अनुभव (जिन विभागों में काम किया है उनके नाम और कितने वर्षों तक काम किया है, इस संबंध में उन विभागों के साथ किए गए काम के संविदा आदेशों की प्रतियां संलग्न करें)	
13	क्या संविदा करार की शर्तें व नियम स्वीकार करने संबंधी शपथ-पत्र यथावत हस्ताक्षरित किया है, इस स्वीकृति की पुष्टि में इसे संलग्न करें।	
14	क्या एजेन्सी का प्रोपफाइल (संक्षिप्त विवरण) संलग्न किया है	
15	अन्य ग्राहकों की सूची	
16	संविदा कम्पनी/फर्म/एजेन्सी की पिछले 02 वित्तीय वर्षों की वित्तीय व्यवसाय संबंधी विवरणी (लेखा परीक्षा को/चार्टरित Auditors/CA लेखाकार द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट की प्रतिलिपि	
17	क्या संविदा एजेन्सी को श्रम आयुक्त अथवा किसी अन्य सरकारी संस्था द्वारा कभी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है (यदि हां तो उस सम्प्रेषण की प्रतिलिपि संलग्न करें)	

संविदा प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण/कोटेशन

सेवा में,

अध्यक्ष, संयुक्त प्रबन्धन बोर्ड
पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे कॉम्प्लैक्स
दक्षिण मार्ग, सैक्टर-32-ए, चण्डीगढ़

टेन्डर कागजात और इसके अनुलग्नों के अवलोकन व जांच-पड़ताल के उपरान्त हम उक्त टेन्डर कागजात की शर्तों व नियमों के अनुसार सफाईवाला, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउन्टर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड (सिविलियन/बिना हथियार) कार्मिकों की सेवाएं ठेके पर देने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

हम वचन देते हैं कि यदि हमारा संविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो संविदा करार हस्ताक्षर करने के 07 दिन के अन्दर हम अपेक्षित सेवा कार्मिकों को आपके कार्यालय में तैनात कर देंगे।

यदि हमारा संविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो हम प्रस्तावित संविदा दर की 10 मूल्य राशि की बैंक गारन्टी ठेका निष्पादन हेतु जमा कर देंगे।

हम एतद द्वारा यह भी स्वीकार करते हैं कि हमारा यह संविदा प्रस्ताव 120 दिन के लिए मान्य होगा। इस अवधि के समाप्त होने के पूर्व इसे कभी भी आपके कार्यालय द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

हमें यह मालूम है कि आपका कार्यालय किसी भी निविदाकार की न्यूनतम दरें अथवा अन्य प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

दिनांक दिन 2017

हस्ताक्षर.....

(.....)

के लिए/की ओर से संविदा प्रस्ताव हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत

वित्तीय संविदा प्रोफार्मा

मनव संसाधन सेवाओं का विवरण						प्रति कार्मिक समेकित दरें (रूपय में)
ठेका आधार पर	न्यूनतम मजदूरी	कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) प्रभार/ EDLI प्रभार @13.36%	ESIC प्रभार @4.75%	सेवा कर	कुल सेवा कर @15 %	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1 से 4)	
सफाईवाला (मुख्य आयुक्त दरें) (केन्द्रीय)	9360.00					
कूपन क्लर्क (श्रम आयुक्त) जिला आयुक्त दरें	17199.00					
काउन्टर क्लर्क (आयुक्त) जिला आयुक्त दरें	17199.00					
क्लर्क (श्रम आयुक्त) जिला आयुक्त दरें	17199.00					
सहायक हलवाई (श्रम आयुक्त) जिला आयुक्त दरें	11803.00					
माली (श्रम आयुक्त) जिला आयुक्त दरें	11803.00					
सुरक्षा गार्ड (सिविलियन बिना हथियार) (श्रम आयुक्त) जिला आयुक्त दरें	10590.00					
कुल जोड़	95153.00					

नोट: संविदा/टेंडर के पैरा 8(v) (vi) और (viii) में दी शर्तों और नियमों के अनुसार सेवा प्रभार 02 डैसिमल तक प्रतिशत में दर्शाएँ।

.....के लिए दरें

अंको में दरें.....रूपये

शब्दों में दरें.....रूपये

संविदाकार /ठेकेदार के हस्ताक्षर

डाकपता

स्थान.....दिनांक

संविदा करार

(100/- रूपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादन किया जाएगा)

यह करार एक पक्षकार के रूप में (जिसे इसमें आगे “ सेवा प्रदान अथवा ठेकेदार (संविदाकार)” कहा गया है और दूसरे पक्षकार के रूप में निदेशक, पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र (जिन्हे इसमें आगे “सरकार” कहा गया है) के बीच आज तारीख.....को किया गया है।

सेवा प्रदाता ने अध्यक्ष, संयुक्त प्रबन्धन बोर्ड को सफाईवाला, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउन्टर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड (सिविलियन/बिना हथियार) की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्धारित फार्म पर संविदा दरें प्रस्तुत की हैं और यह संविदा दरें/टेन्डर स्वीकार कर लिया गया है और ठेकेदार ने करार की शर्तों व नियमों के अनुसार संविदा निष्पादन धरोहर राशि (..... रूपये मात्र) सरकार को जमा कर दी है।

अब एतद द्वारा दो पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है:-

- 1) टेन्डर नोटिस सं0..... के अनुसार ठेकेदार ने टेन्डर कागजात में दी गई शर्तों और नियमों के अनुसार टेन्डर करार स्वीकार कर लिया है जो इस करार की अवधि के दौरान दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 2) टेन्डर कागजात में उल्लिखित शर्तों का ठेकेदार द्वारा उल्लंघन करने पर सरकार उसे लिखित नोटिस जारी कर सकती है और इस करार को समाप्त कर सकती है और सरकार को बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव का अधिकार रखते हुए सेवा प्रदाता द्वारा सेवा शर्तों के उल्लंघन से हुए नुकसान की भरपाई करवा सकती है, जिसे सरकार लिखित प्रमाण में देगी और यह प्रमाण-पत्र सरकार को हुई क्षति के लिए ठेकेदार द्वारा क्षतिपूर्ति करने हेतु मान्य होगा।
- 3) सेवा प्रदाता ने करार के अनुपालन और कार्य निष्पादन अनुसार..... रूपये सरकार को सेवा निष्पादन धरोहर राशि के रूप में जमा करवा दिए हैं यदि ठेकेदार करार हस्ताक्षर करते हैं तो करार अवधि समाप्त होने के उपरान्त ठेकेदार को करार तिथि से 15 महीने के उपरान्त निष्पादन धरोहर राशि बिना किसी ब्याज के वापिस लौटा दी जाएगी और करार शर्तों और नियमों के अनुसार यदि सेवा-प्रदाता द्वारा सरकार को कोई अदायगी बाकी होगी तो वह राशि की कटौती कर ली जाएगी।
- 4) यह करार 12 महीने के लिए वैध है और करार अवधि समाप्त होने के 03 महीने तक लागू माना जाएगा।
- 5) इस टेन्डर और स्वीकृति फार्मों में निर्दिष्ट तथ्यों के होते हुए भी सरकार प्रस्तावित सभी अथवा आंशिक मानव संसाधन तैनात करने के लिए बाध्य नहीं होगी और सेवा प्रदाता फर्म को बिना किसी क्षतिपूर्ति के किसी भी समय एक महीने का लिखित नोटिस देकर करार रद्द कर सकती है।
- 6) टेन्डर कागजात की शर्तों व नियमों के अनुसार सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि पर विचार करते हुए सेवा प्रदाता एजेन्सी सरकार को सफाईवाला, माली, सहायक हलवाई, कूपन क्लर्क, काउन्टर क्लर्क, क्लर्क और सुरक्षा गार्ड कार्मिक उपलब्ध करवाने हेतु अपनी सहमति देती है और करार की शर्तों व नियमों के अनुसार तैनात कार्मिकों के संबंध में सरकार द्वारा पाई गई कमियों को दूर करने की सहमति प्रदान करती है।

- 7) इसके साक्ष्य स्वरूप सेवा प्रदाता..... और निदेशक, पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकडा केन्द्र/ हिमाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकडा केन्द्र अथवा सरकार की ओर से उसके प्राधिकृत प्रतिनिधिने उपरोक्त दिनांक व वर्ष को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

ठेकेदार/संविदाकार

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

गवाह

और

साक्षी..... साक्षी.....

स्थान: चण्डीगढ़

निष्पादन धरोहर राशि फार्म

सेवा में,

स्थापना एवं लेखा अधिकारी
पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकडा केन्द्र
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे कॉम्पलैक्स
दक्षिण मार्ग, सैक्टर 32-ए, चण्डीगढ़

.....सेवा प्रदाता का नाम (जिसे इसमें आगे सेवा प्रदाता एजेन्सी कहा गया है न संविदा सं०..... दिनांक..... लेने का वचन दिया है कि वे.....सेवाओं का वर्णन) की आपूर्ति करेंगे जिसे इसमें आगे करार कहा गया है। सरकार द्वारा उक्त संविदा शर्तों में कहा गया है कि सेवा प्रदाता एजेन्सी कार्य निष्पादन के अनुपालन के संबंध में करार के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक धरोहर राशि के रूप में निर्दिष्ट राशि बैंक गारंटी के तौर पर जमा करेगी।

और हम सेवाप्रदाता एजेन्सी को गारन्टी देने के लिए सहमत हैं:

अतः हम स्वीकार करते हैं कि हम गारंटीकर्ता है और सेवा प्रदाता की ओर सेरू..... (रूपये.....मात्र) की सीमा तक की राशि सरकार को देने की जिम्मेवारी लेते हैं। हम सरकार द्वारा सेवा प्रदाता को करार की नियमों व शर्तों के अनुसार दोषी घोषित करने पर बिना किसी प्रमाण अथवा कारण की मांग करते हुए सरकार द्वारा लिखित मांग पर बिना किसी छिद्रान्वेषण अथवा वाद-विवाद केराशि/राशि सीमा तक भुगतान करने के लिए वचनबद्ध होंगे।

यह गारन्टी.....(तिथि) तक वैध है।

गारन्टीकर्ता की सील (मोहर) व हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा पता.....